

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 7164  
प्रार्थीगण

दिनांक - 28/12/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रतनलाल 2 पबाराम 3  
गोपाराम पिसरान सोनाराम  
जाति दर्जी निवासी कवास  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण व  
जिला बाड़मेर।


1 टीकमराम 2 लालाराम पिसरान बस्तीराम जाति दर्जी  
निवासी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर  
3 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 76/2023

दिनांक- 27/10/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अलाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बान्दरा, तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 961/807 रकबा 3.6745 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के  
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही  
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये  
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)


उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 28/12/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 7165-68

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रतनलाल पुत्र सोनाराम वगैराह जाति दर्जी निवासी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी टीकमराम पुत्र बस्तीराम वगैराह जाति दर्जी निवासी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर